

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
कालूसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपुत, निवासी फतेहसिंह नगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		कानसिंह पुत्र सांवलसिंह जाति राजपुत, निवासी फतेहसिंह नगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (30)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (111, 128)

मुकदमा नम्बर 178/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31.05.2024	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक <u>21.6.24</u> को पेश हो।	TDR sheet 3226 07.06.24
21.6.24	पत्रावली बका हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीर्घ काम में व्यस्त होने के कारण इत्तावा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक <u>26.6.24</u> को पेश हो।	
26.6.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रवाची कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्तावा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक <u>19.7.24</u> को पेश हो।	
19.7.24	श्रीमान पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने से इत्तावा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक <u>16.8.24</u> को पेश हो।	
16.8.24	पत्रावली पेश हो। उर्ध्व अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली बका विप्रार्थी की तामील हेतु दिनांक <u>10.10.24</u> को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी
शिव



नम्बर
अहकाम
की
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

22.8.25

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने व
कारण इल्लतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
~~26.9.25 को पेश हो~~

26.09.25

पत्रावली पेश। प्रार्थी वहील अनुपस्थित।
पत्रावली में प्रभावी पेशी हेतु न्यायालय
समय में प्रार्थी व प्रार्थी प्रथिमता से
रुठ - रुठ कर मागजें ही जाने के बावजूद
अनुपस्थित। मत्र पत्रावली में कोई प्रभावी
पेशी नहीं देने तथा प्रार्थी व प्रार्थी प्रथिमता
के अनुपस्थित रहने पर इन्हें मावेदन भरकर
हाजरी व मद्रक पेशी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से उन दोहर
दाखिल दक्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
शिव